

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 19]	नई दिल्ली, जुलाई 9—जुलाई 15, 2006, शनिवार/आषाढ़ 18—आषाढ़ 24, 1928
No. 19]	NEW DELHI, JULY 9—JULY 15, 2006, SATURDAY/ASADHA 18—ASADHA 24, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

आ. अ. 58.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री मृत्युंजय करमाकर, निवासी मिरीहुला गांव, डा.घ. मोरनहाट, जिला डिब्रुगढ़, असम जो असम राज्य में 115-मोरन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा 2004 के उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले एक थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा आदेशों के अधीन अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने के बाद भी असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है अतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग श्री मृत्युंजय करमाकर, निवासी मिरीहुला गांव, डा.घ. मोरनहाट, जिला डिब्रुगढ़ को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य होने या चुने जाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/असम-वि.स./115/2005]

आदेश से,
के. अजय कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2006

O. N. 58.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Mritunjay Karmakar, R/o Mirihula Gaon, P.O. Moranhat, District Dibrugarh, Assam a contesting candidate in the Bye-election to Legislative Assembly, 2004 held from 115-Moran Assembly Constituency in the State of Assam has failed to lodge his account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder; and

Whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares Shri Mritunjay Karmakar, R/o Mirihula Gaon, P.O. Moranhat, District Dibrugarh, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/AS-LA/115/2005]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

आ. अ. 59.—यतः आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र विधान सभा, 2004 के साधारण निर्वाचन में जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी उसके नाम के सामने स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के द्वारा यथा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है:-

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.स. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 ।	13-श्री वर्धन	खातिब इरशाद हुसैन, 41/603 सैण्ड पेबल्स, सा. विनायक रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050, महाराष्ट्र	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	वही-	-वही-	शाम सावंत, स्थान-पो.ओ. अंबेट, तालुक-म्हासला, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	-वही-
3.	-वही-	15-पेन	कदम विजय हरी, पालान्डे चॉल, कमरा नं. 5, सत्यवीर सावरकर नगर, मुम्बरा, थाणे, पिन-4000612, महाराष्ट्र	-वही-

1	2	3	4	5
4.	महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2004	18-खालापुर	काशीनाथ रूपवटे, स्थान-भानवज बौधवाड़ा, पोस्ट-खोपोली, तालुक-खालापुर, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र।	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5.	-वही-	-वही-	गुप्ता राजेन्द्र रामलखन, स्थान -सिद्धार्थनगर, विहारी, खोपोली, तालुक-खालापुर, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	जगन्नाथ परशुराम पाटिल, स्थान एवं पोस्ट, मानकीवाली, तालुक-खालापुर, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र।	-वही-

[सं. 76/महाराष्ट्र-वि.स./2004]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2006

O. N. 59.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Maharashtra Legislative Assembly, 2004 specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	13-Shriwardhan	Khatib Irshad Hussain, 41/603, Sand Pables, Mar. Vinayak Road, Bandra (W) Mumbai-400 050 Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	—do—	—do—	Sham Sawant, At. PO. Ambet, Tal. Mhasla, Distt. Raigad, Maharashtra.	—do—

1	2	3	4	5
3.	General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	15-Pen	Kadam Vijay Hari, Palande Chawl, Room No. 5, Swatyaveer Savarkar Nagar, Mumbra, Thane, Pin-400612, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
4.	—do—	18-Khalapur	Kashinath Rupwate, At. Bhanvaj Baudhwada, Post Khopoli, Tal. Khalapur, Distt. Raigad, Maharashtra.	—do—
5.	—do—	—do—	Gupta Rajendra Ramlakhan, At. Shidharthnagar, Vihari, Khopoli, Tal. Khalapur, Distt. Raigad, Maharashtra.	—do—
6.	—do—	—do—	Jagannath Parshuram Patil, At & Post-Mankivali, Tal. Khalapur, Distt. Raigad, Maharashtra	—do—

[No. 76/MT-LA/2004]

By Order,

K. R. PRASAD, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

आ. अ. 60.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्रीमती शाहिदा बेगम, निवासी मरुआचौकी, डा. घ. मरुआचौकी, जिला दारंग, असम राज्य में मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8-मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा 2004 के लिए साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाली एक अभ्यर्थी थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रही है; और

यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग श्रीमती शाहिदा बेगम, निवासी मरुआचौकी, डा. घ. मरुआचौकी, जिला दारंग, असम को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य होने और चुने जाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष के लिए निराहित घोषित करता है।

[सं. 76/असम-लो.स./8/2004 (1)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2006

O. N. 60.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Smt. Shaheda Begum, R/o Village Maruachowki, P.O. Maruachowki, District Darrang, Assam who was a contesting candidate in the General Election to the Lok Sabha, 2004 held from the 8-Mangaldio Parliamentary Constituency in the State of Assam has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder; and

Whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares Smt. Shaheda Begum R/o Village Maruachowki P.O. Maruachowki, District Darrang, Assam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/AS-HP/8/2004(1)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

आ. अ. 61.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट फरवरी 2005 में हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में तदनुसूची विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है:—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा विधान सभा 2005 के लिए साधारण निर्वाचन,	16-असन्ध (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री ओम प्रकाश, गांव व डा. बल्ला, उप-तह. बल्ला, जिला करनाल, हरियाणा।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-यथा-	29-किलोई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री कप्तान पुत्र राम मेहर, गांव व डा. जसिया, जिला-रोहतक, हरियाणा।	-यथा-
3.	-यथा-	32-कलानौर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री ईश्वर सिंह, गांव व डा. बहुअकबर तहसील व जिला-रोहतक, हरियाणा।	-यथा-
4.	-यथा-	-यथा-	श्री सत्यवीर, गांव व डा. समरगोपालपुर, रोहतक, हरियाणा।	-यथा-
5.	-यथा-	40-कैलाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री ओम प्रकाश, गांव व डा. पिपली खेरा, तहसील गन्नौर, जिला-सोनीपत, हरियाणा।	-यथा-

1980 G5/06-2

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा विधान सभा 2005 के लिए साधारण निर्वाचन	40-कैलाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री देवेन्द्र, गांव व डा.-शेख पुरा, तहसील-गन्नौर, जिला-सोनीपत, हरियाणा ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7.	-यथा-	-यथा-	श्री सूरत सिंह, गांव-उमेद गढ़, डाक-सनपेरा, तहसील-गन्नौर जिला-सोनीपत, हरियाणा ।	-यथा-
8.	-यथा-	43-रोहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री यशपाल सिंह, गांव व डा. ककरोई, जिला-सोनीपत, हरियाणा ।	-यथा-
9.	-यथा-	-यथा-	श्री नरेश, म.नं. 136 वार्ड नं. 7, गांव व डा. खरखौदा, जिला-सोनीपत, हरियाणा ।	-यथा-
10.	-यथा-	-यथा-	श्री शिव रतन, गांव व डा.-गोरड, म.नं. 706, जिला-सोनीपत, हरियाणा ।	-यथा-
11.	-यथा-	-यथा-	श्री संदीप, म.न. 136, वार्ड नं. 7 गांव व डा. खरखौदा, जिला-सोनीपत, हरियाणा ।	-यथा-
12.	-यथा-	51-फरीदाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री दीपक भाटिया, म.न. 3 ई-41 एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा ।	-यथा-
13.	-यथा-	52-मेवला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री जगदीप, म.नं. 36, गली नं. 16 शिव इन्कलेव इस्माईलपुर एक्सटेंशन, फरीदाबाद, हरियाणा ।	-यथा-
14.	-यथा-	-यथा-	श्री सतपाल, म.नं. 58 गांव नवादा कोह तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा ।	-यथा-
15.	-यथा-	-यथा-	श्री सुनील, म.न. 84 गांव कोट तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा ।	-यथा-

1	2	3	4	5
16.	हरियाणा विधान सभा 2005 के लिए साधारण निर्वाचन	55-हसनपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री मनोहर, गांव मूर्तजाबाद, डाकखाना हसनपुर, तह. होडल, जिला, फरीदाबाद, हरियाणा।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें
17.	यथा	55-हसनपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री दयाचन्द, गांव काशीपुर का मजरा भरतगढ़, डाकखाना-हसनपुर, तह. पलवल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।	यथा
18.	यथा	85-बावल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री भरत सिंह, पुत्र कुन्दन, गांव -बालावास अहीर, डा. बोडियाकमालपुर, तहसील व जिला-रेवाड़ी, हरियाणा।	यथा

[सं. 76/हरियाणा-वि.स./2005(5)]

आदेश से,
के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2006

O. N. 61.—Whereas, the Election Commission is satisfied that contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly held from Haryana in February, 2005 as specified in column (2) and held from constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the Table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	16-Assandh (SC)	Om Parkash, V.P.O. Ballah, Sub, Teh. Ballah, Distt. Karnal Haryana.	Failed to lodge account of election expenses
2.	-do-	29-Kiloi	Kaptan s/o Ram Mehar, V. & P.O. Jassia, Distt. Rohtak, Haryana.	-do-

1980 05/06/25

1	2	3	4	5
3.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	32-Kalanaur (SC)	Ishwar Singh V. & P.O. Bahu, Akbarpur, Teh. & Distt. Rohtak HARYANA.	Failure to lodge account of his election expenses.
4.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	-do-	Satayveer, V. & P.O. Samargopalpur, Rohtak, HARYANA.	-do-
5.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	40-Kailana	Om Prakash, V. & P.O. Pipli Khera, Teh. Ganaur, Distt. Rohtak, HARYANA.	-do-
6.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	-do-	Devender V. & P.O. Sheikh Pura, Teh. Ganaur, Distt. Sonipat HARYANA.	-do-
7.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	-do-	Surat Singh, Vill. Umed Garh, P.O. Sanpera Teh. Ganaur, Distt. Sonipat Haryana, HARYANA.	-do-
8.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	43-Rohat	Yashpal Singh, V. & P.O. Kakroi,, Distt. Sonipat, HARYANA.	-do-
9.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	-do-	Naresh, H.No. 136, W.No.7, V.P.O. Kharkhoda, Distt. Sonipat, HARYANA.	-do-
10.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	-do-	Shiv Ratttan, V. & P.O. Gorar, H. No. 706, Distt. Sonipat, HARYANA.	-do-
11.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	-do-	Sandeep, H.No. 136, W.No.7, V.P.O. Kharkhoda Distt. Sonipat, HARYANA.	-do-
12.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	51-Faridabad	Deepak Bhatia, H. No. 3E-41, NIT Faridabad HARYANA.	-do-
13.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	52-Mewla Maharajpur	Jagdeep, H.No. 36, Gali No. 16, Shiv Enclave, Esmail Pur Extension, Faridabad, HARYANA.	-do-
14.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	-do-	Satpal H.NO. 58, Vill. Nawada Koh, Teh. & Distt. Faridabad, HARYANA.	-do-

1	2	3	4	5
15.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	52-Mewla Maharajpur	Sunil H.No. 84, vill. Kot, Teh. & Distt. Faridabad, HARYANA.	Failure to lodge account of his election expenses.
16.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	55-Hassanpur (SC)	Manohar, Vill. Murtzabad, P.O. Hassanpur, Teh. Hodal, Distt. Faridabad, HARYANA.	-do-
17.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	55-Hassanpur (SC)	Daya Chand Vill. Kashipur Ka Majra Bharatgarh, P.O Hassanpur, Teh. Palwal, Distt. Faridabad, HARYANA.	-do-
18.	General Election to the Legislative Assembly of Haryana-2005	85-Bawal (SC)	Bharat Singh, S/o Kundan Vill. Balawas Ahir, P.O. Boriya Kamalpur, Teh. & Distt. Rewari, HARYANA.	-do-

[No.76/HN-LA/2005(5)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

आ. अ. 62.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट दिसम्बर 2003 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में तदनुसूची विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है:-

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधान सभा 2003 के लिए साधारण निर्वाचन	39-मंडावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	शुशील उपाध्याय, बी-60 जैन मंदिर गली, शकरपुर, दिल्ली-92	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधान सभा 2003 के लिए साधारण निर्वाचन	39-मंडावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	अजय कुमार गर्ग, डी. 533, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली,	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/दिल्ली-वि.स./2003(3)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2006

O. N. 62.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly held from National Capital Territory of Delhi in December, 2003 as specified in column 2 and held from constituencies correspondingly specified in column 3 against their names have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column 5 of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

ORDER

Sl. No.	Particulars of Election	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi- 2003	39-Mandawali	Sushil Upadhyay B-60, Jain Mandir Gali, Shakarpur, Delhi.	Failed to lodge account of election expenses.
2.	General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi-2003	-do-	Ajay Kumar Garg. D-533, West Vinod Nagar, Delhi.	-do-

[No. 76/DL-LA/2003(3)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.